



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112023-250098
CG-DL-E-17112023-250098

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4743]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 16, 2023/कार्तिक 25, 1945

No. 4743]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 16, 2023/KARTIKA 25, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2023

का.आ. 4952 (अ)—का.आ. 1739(आ), दिनांक 4 जून, 2020 के तहत जारी की अधिसूचना के अधिक्रमण में, निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्र सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का विचार रखती है, को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के तहत यथा अपेक्षित, ऐसे जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है; जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप-अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिस तारीख को इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां उक्त जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् ही विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो इस प्रारूप-अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति जाहिर करने या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्र सरकार के विचारार्थ अपनी आपत्ति या सुझाव का सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

गोरूमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के जलपाईगुडी जिले में 79.45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1.1.1998 की अधिसूचना के तहत अधिसूचित किया गया था और यह लगभग 55 विशाल भारतीय एक सींग वाले गैंडों का वास है, जो विश्व स्तरीय अंतिम प्रजातियों की जनसंख्या में से एक है;

और जहाँ कि, यह राष्ट्रीय उद्यान भारतीय हाथियों के आवागमन के लिए गलियारे के रूप में कार्य करता है, यह लगभग 1000 गौर, कई अन्य शाकाहारी, कई लेस्सर बिल्लियों के साथ तेंदुआ, पक्षियों की लगभग 300 प्रजातियों और तितलियों की लगभग कुछ संख्या का भी वास है, यह वन, नदी पारिस्थितिकी-तंत्र और समीपवर्ती चाय बगान और ग्रामों सहित उनके विविध जातियों के साथ जलपाईगुडी जिला के वन भू-दृश्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है;

और जहाँ कि, गोरूमारा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की अनुसूची- I के अधीन विनिर्दिष्ट अनेक प्रजातियों का पोषण करता है जिसमें विशाल भारतीय एक सींग वाला रिनोसेरोस (*रहिनोसेरोस यूनीकोर्निस*), एशियाई हाथी (*एलिफस मैक्सीमस*), गौर (*बोस गौरस*), तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रड्यूस*), इंडियन राक पायथन (*पायथन मूलयरूस*), मालायन विशाल गिलहरी (*रतुफा बिकोलोर*), तेदुआ (*परिओनाइलुरुस बेंगालेंसिस*), फिशिंग कैट (*परिओनाइलुरुस विवैरिनस*), हील मैना (*ग्राकुला रेलीगिओसा*), भारतीय मोर (*पावो क्रिस्टेटस*), भारतीय ग्रे हार्नबिल्ल (*ओक्यकेरोस बिरोस्ट्रीस*), आदि आते हैं;

और जहाँ कि, गोरूमारा राष्ट्रीय उद्यान की समृद्ध जीव और जंतु विविधता के प्रभावी संरक्षण और सुरक्षा के लिए, विभिन्न स्तरों के नृजातीय दबावों को विनियमित किया जाना है क्योंकि इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के एकदम आस-पास के क्षेत्र पारिस्थितिकी की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है जो इस संरक्षित क्षेत्र को बहुत प्रभावित करते हैं;

और जहाँ कि, इस उद्यान में वन्यजीव पर मूर्ति और जलढाका की मुख्य नदी प्रणालियों के साथ-साथ उनकी सहायक नदियों और नालों की गतिशील प्रकृति का सीधा प्रभाव पड़ता है; और अतः, गोरूमारा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के क्षेत्रों का संरक्षण और सुरक्षा करना आवश्यक है ताकि वहां और परिदृश्य में वन्यजीव वास स्थान में सुधार और विकास किया जा सके;

और जहाँ कि, गोरूमारा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर के संरक्षित क्षेत्र को, जो कि इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्र सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे एतश्मिन् पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पश्चिम बंगाल राज्य के जलपाईगुडी जिले के गोरूमारा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 1.0 किलोमीटर से 17.0 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे एतश्मिन् पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, यथा:-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.-

- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार गोरूमारा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 1.0 किलोमीटर से 17.0 किलोमीटर तक विस्तृत होगा और इस पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल लगभग 278 वर्ग किलोमीटर है।
- (2) गोरूमारा राष्ट्रीय उद्यान और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।
- (3) भारतीय सर्वेक्षण पर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमांकन करने वाले गोरूमारा राष्ट्रीय उद्यान का मानचित्र **अनुलग्नक-IIक** में दिया गया है, गोरूमारा राष्ट्रीय उद्यान और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा विवरण, अक्षांश और देशांतर के साथ-साथ **अनुलग्नक-IIख** और **अनुलग्नक-IIग** के रूप में संलग्न है; भू-निर्देशांक संदर्भ **अनुलग्नक-IIघ** में दिया गया है।
- (4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और गोरूमारा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से उनकी सबसे कम दूरी के महत्वपूर्ण भू-निर्देशांकों की सूची **अनुलग्नक-III** में दी गई है।
- (5) प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले क्षेत्रों की सूची **अनुलग्नक-IVक** के रूप में संलग्न है और

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची, अक्षांश और देशांतर के साथ-साथ अनुलग्नक-IVख में दी गई है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की आंचलिक महायोजना.-

(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी जिसे राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) इस आंचलिक महायोजना उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, यथा:-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज; और
- (xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक कारगर और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज का काम करेगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

(10) आंचलिक महायोजना की तैयारी और इसके अनुमोदन के लंबित रहने के दौरान किसी भी नए विकासात्मक क्रियाकलापों को पैरा 6 के उप-पैरा (1) और (2) में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार ही अधिशासित किया जाएगा।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, यथा:-

(1) भू-उपयोग.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए अभिज्ञात उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या इसके संपरिवर्तन की अनुमति नहीं होगी:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर उपर्युक्त भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन को निगरानी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुमति दी जा सकेगी:-

- i. विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;
- ii. बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- iii. प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- iv. कुटीर उद्योग सहित ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और
- v. पैराग्राफ-4 में यथा उल्लिखित बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी।

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जा सकेगा और उक्त त्रुटि को सुधारे जाने की सूचना केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुनः वनीकरण किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल आवाह प्रबंधन योजना इस रीति से बनाई जाएगी कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो।

(3) पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना, राज्य के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ड) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें से जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुमत नहीं किया जाएगा:

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुमत होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमत किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल, रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का सन्निर्माण अनुमत नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**- ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 और उसमें संशोधन के अधीन उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान समय-समय पर यथा संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ख) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

(ग) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाने या भष्मीकृत करने और कचरा स्थल की स्थापना करने की अनुमति नहीं होगी;

(घ) अकार्बनिक सामग्री को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर अभिज्ञात गए स्थलों पर पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकार्य तरीके से निपटाया जा सकता है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस कचरे को जलाने या भष्म किये जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य अभिज्ञात प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात.-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बने नियमों, जिसमें पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना (ईआईए), 2006 शामिल भी है, सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) व अन्य लागू नियमों के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार संचालित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, यथा:-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन.

		गौडाबर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4 अगस्त, 2006 के आदेश और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुपालन में होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी: विद्यमान उद्योगों द्वारा प्रदूषण निवारण प्रौद्योगिकियां और ध्वनि अवरोधक स्थापित किए जाने चाहिए।
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सरण।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुमत नहीं होगा।
7.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	पॉलीथिन बैग का प्रयोग।	प्रतिषिद्ध।
9.	जलावन लकड़ी का उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
10.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना की अनुमति नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुमत नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी: परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।

12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी समय-समय पर संशोधित उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ न्यूनीकरण उपाय करना।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू कानूनों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार उचित पर्यावरण प्रभाव आकलन के साथ न्यूनीकरण उपाय करना।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
20.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमत होंगे।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्वाह का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
24.	फर्मों, कॉर्पोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और पोल्ट्री फार्म की स्थापना।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमत होंगे।

25.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	विनियमित और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
29.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
ग.संबंधित क्रियाकलाप		
30.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.-

इस अधिसूचना के प्रावधानों की प्रभावी निगरानी के लिए केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	मानीटरी समिति का गठन	पद
(i)	संबंधित जिला कलेक्टर	पदेन, अध्यक्ष;
(ii)	पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे प्रत्येक कार्यकाल के लिए तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।	सदस्य;
(iii)	राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में समय-समय पर पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ को नामित किया जाएगा।	सदस्य;
(iv)	राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	पदेन, सदस्य;

(v)	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	पदेन, सदस्य;
(vi)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	पदेन, सदस्य;
(vii)	प्रभागीय वन अधिकारी, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान के प्रभारी	पदेन, सदस्य-सचिव।

6. निगरानी समिति के कार्य:-

(1) निगरानी समिति, वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की छानबीन करेगी जो कि भारत सरकार, के एतदपूर्व पर्यावरण और वन मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006, के अंतर्गत आते हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में हो रहे हों, उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में निर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, और उक्त अधिसूचना के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण की दृष्टि से पूर्व-क्लियरेंस के लिए केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण आघात मूल्यांकन प्राधिकरण के पास सन्दर्भित कर दिए गए हों।

(2) भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले क्रियाकलापों, उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में निर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की निगरानी समिति द्वारा वास्तविक साइट-विशिष्ट की स्थितियों के आधार पर जांच की जाएगी और संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) निगरानी समिति के सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) मामले दर मामले की आवश्यकता के आधार पर निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, उद्योग संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित हितधारकों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकती है।

(5) निगरानी समिति अनुलग्नक-V में विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा के अनुसार प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव संरक्षक को प्रस्तुत करेगी।

(6) केन्द्र सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कार्य-कलापों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. अतिरिक्त उपाय:- इस अधिसूचना के उपबंधों को कारगर बनाने के लिए केंद्र सरकार और केंद्र शासित क्षेत्र अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, भी विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

8. उच्चतम न्यायालय, आदि के आदेश:- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिये गए या जारी किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/24/2018-ईएसजेड]

डॉ. एस. के.के.ट्टा, वैज्ञानिक-जी

अनुलग्नक - I

गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर: कलिम्पोंग वन प्रभाग के वन, भूटान की सीमा तक।

पूर्व: पूर्व में जलढाका नदी के साथ-साथ, सिलीगुड़ी-अलीपुरद्वार रेलवे लाइन तक, इसके आगे दक्षिण में सुलकापाड़ा रोड के पूर्वी भाग, जिसमें दियाना श्रेणी के वन, करबला रोड का पश्चिमी भाग भी आता है, के साथ-साथ तथा गैर काटा रोड से होते हुए जलपायीगुड़ी वन प्रभाग के नाथुआ रेन्ज में आने वाले रामसाई वन तक।


दक्षिण: हिंदुस्तान मोड़ के उत्तर में, रामसाई सड़क के पूर्वी भाग में, कौअगप-रामसाई सड़क को पार करते हुए, सड़क सहित सिंचाई नहर तक और आगे नहर के किनारे लतागुड़ी-माल रेलवे लाइन तक जाती है।

पश्चिम: लाटागुडी से माल-लाटागुडी रेलवे लाइन के साथ, इसके अतिरिक्त नेओरा नदी के दाहिने किनारे के उत्तर में, बारादिधी चाय बागान के पश्चिमी किनारे, पीएमजीएसवाई सड़क के पूर्वी किनारे, बंगलापारा सड़क, चोरोक सड़क और उत्तर धुपझोरा सड़क के दक्षिणी किनारे, जिला परिषद सड़क से जलपाईगुडी प्रभाग के अधीन पंजहोरा वन तक, एनएच-17, सिलीगुडी-अलीपुरद्वार रेलवे लाइन को पार करते हुए उत्तर की ओर किलकोटे-इंडोंग टीजी सड़क और फिर मूर्ति नदी से कुमाई वन तक जाती है।

अनुलग्नक – IIक

महत्वपूर्ण बिंदुओं सहित गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

Map of Eco Sensitive Zone of Gorumara National Park



Generated by Working Plan & GIS circle, W.B., Dated 15.05.2023

अनुलग्नक – II-ख

सीमा पर गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान के महत्वपूर्ण भू-निर्देशांक

बिंदु	अक्षांश	देशांतर	दिशा
पी1	26°51'15.76"उ	88°52'6.07"पू	उत्तर
पी2	26°47'42.37"उ	88°47'53.19"पू	पश्चिम
पी3	26°45'42.52"उ	88°47'25.41"पू	पश्चिम
पी4	26°43'44.13"उ	88°49'6.36"पू	दक्षिण
पी5	26°47'52.27"उ	88°53'11.60"पू	पूर्व

अनुलग्नक – II-ग

गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के पारिस्थितिकी संवेदी जोन पर महत्वपूर्ण बिंदुओं के भू-निर्देशांक

क	27° 00'36.10"उ	88°50'57.09"पू
ख	26°56'28.70"उ	88°52'49.39"पू
ग	26°48'58.04"उ	88°47'39.56"पू
घ	26°47'52.29"उ	88°56'28.01"पू
च	26°41'09.30"उ	88°49'00.53"पू

अनुलग्नक –II-घ

महत्वपूर्ण भू-निर्देशांक संदर्भों सहित गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विस्तृत विवरण

विस्तार	विवरण
उत्तरी	बिंदु 27°00'19.03"उ 88°50'28.69" पू से, फिर उत्तर-पूर्व की ओर नक्सा खोला (दाएं किनारे) के केंद्र से 30 मीटर तक बिंदु 27°00'44.79" उ 88°51'12.58" पू तक और फिर नक्सा खोला के साथ भूटान सीमा बिंदु 27°00'32.44" उ 88°52'23.12" पू तक जाती है।
पूर्वी	भूटान सीमा के साथ बिंदु 27°00'32.44" उ 88°52'23.12" पू से 26°56'28.70"उ 88°52'49.39"पू तक जलढाका नदी के पूर्वी भाग सहित बिंदु 26°53'50.68"उ 88°53'46.70"पू तक जहां यह सिलीगुडी-अलीपुरद्वार रेलवे लाइन को पार करती है और नागराकाटा-सुखानिबस्ती सड़क से मिलती है जो एनएच-17 को पार करने के बाद सुल्कापारा से जुड़ती है और बिंदु 26°50'41.98"उ 88°54'50.11"पू पर पूर्व की ओर मुड़ती है। फिर पूर्व की ओर, बिंदु 26°50'40.96"उ 88°55'5.98" पर गठिया नदी को पार करते हुए, उसी लाइन पर आगे 2.72 किलोमीटर पूर्व में बिंदु 26°50'32.97" उ 88°56'30.16" पू तक जाती है। फिर, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर 26°47'52.40" उ 88°56'27.81" पू तक नीचे की ओर, फिर कालाबाड़ी सड़क के पश्चिमी किनारे के साथ, सड़क के केंद्र से 30 मीटर की दूरी पर, गैरकाटा सड़क से जुड़कर पर नाथुआ बाजार तक बिंदु 26°42'55.60" उ 88°54'10.42" पू और फिर मझियाली सड़क के साथ 30 मीटर की दूरी पर बिंदु 26°42'20.97" उ 88°53'21.86" पू तक, फिर रामसाई पिकनिक स्पॉट के माध्यम से कनेक्टिंग सड़क के साथ बिंदु 26°41'34.69" उ 88°53'24.18" पू तक, और फिर पूर्व की ओर गैरकाटा सड़क के केंद्र से 30 मीटर तक और आगे दक्षिण में बिंदु 26°40'14.04" उ 88°53'27.80" पू तक जाती है।

दक्षिणी	बिंदु 26°40'14.04" उ 88°53'27.80" पू से, पश्चिमी दिशा की ओर जलढाका नदी को पार करते हुए, और इसके अतिरिक्त पश्चिम में बिंदु 26°40'20.41" उ 88°51'30.16" पू तक, फिर सड़क के साथ सड़क के केंद्र से बिंदु 26°41'12.36" उ 88°51'29.57" पू तक 30 मीटर की दूरी में, पश्चिम में रामसाई सड़क तक, बिंदु 26°42'37.02" उ 88°51'0.574" पू तक, पश्चिम में कौअगप सड़क तक, दक्षिण में सड़क सहित 30 मीटर की दूरी पर नहर तक जाती है। इसके अतिरिक्त, नहर के केंद्र से 30 मीटर उत्तर में, नहर के साथ-साथ 30 मीटर की दूरी पर बिंदु 26°41'42.44" उ 88°46'35.60" पू तक जाती है, फिर कनेक्टिंग सड़क के पूर्व में (सड़क के केंद्र से 30 मीटर की दूरी पर) सड़क का) लतागुरी-माल रेलवे लाइन तक 26°42'39.90" उ 88°46'15.24" पू जाती है।
पश्चिमी	लतागुरी-माल रेलवे लाइन के साथ पश्चिम की ओर, पूर्वी भाग में रेखा के केंद्र से 30 मीटर की दूरी पर बिंदु 26°44'23.72" उ 88°45'29.91" पू तक नेओरा नदी पर रेल पुल तक जाती है, और फिर इसके साथ-साथ नेओरा नदी के पश्चिमी तट मुख्य धारा के केंद्र से 200 मीटर पर बिंदु 26°47'32.04" उ 88°45'16.83" पू तक जाती है। नेओरा नदी के उस पार नदी के पूर्वी भाग पर पीएमजीएसवाई सड़क तक, इसे बिंदु 26°49'00.00" उ 88°47'46.98" पू पार करते हुए, फिर पीएमजीएसवाई सड़क के साथ (सड़क के केंद्र से 30 मीटर की दूरी) बंगापारा सड़क के साथ (सड़क के केंद्र से 30 मीटर की दूरी पर), फिर उत्तर धूपझोड़ा सड़क के साथ (सड़क के केंद्र से 30 मीटर की दूरी पर) बिंदु 26°50'10.29" उ 88°48'48.39" पू तक जाती है, फिर आगे उत्तर की ओर जिला परिषद सड़क के साथ (सड़क के केंद्र से 30 मीटर पूर्व) बिंदु 26°51'18.79" उ 88°49'12.79" पू तक और फिर उत्तर में नए खुनिया वन ग्राम के माध्यम से एनएच-17 तक रेलवे लाइन को पार करते हुए बिंदु 26°53'05.51" उ 88°49'28.73" पू तक जाती है। इसके अतिरिक्त सिलीगुड़ी-अलीपुरद्वार रेलवे लाइन के केंद्र से उत्तर की ओर 200 मीटर के साथ पश्चिम में 1.34 किलोमीटर तक, 26°53'4.26" उ 88°48'40.08" पू बिंदु तक और इंडोंग टीजी-किलकोटे टीजी सड़क को पार करके जाती है। फिर, उत्तर की ओर, कच्ची सड़क के केंद्र से 30 मीटर बिंदु 26°53'9.35" उ 88°48'39.39" पू पर, सड़क 26°53'21.32" उ 88°48'39.53" पू तक, और उत्तर पूर्व में बिंदु 26°53'33.13" उ 88°48'53.28" पू पर इंडोंग-किलकोटे टीजी सड़क से मिलने तक और सड़क के पश्चिमी किनारे पर बिंदु 26°54'25.39" उ 88°48'40.54" पू तक जाती है, फिर 2.78 किलोमीटर के लिए उत्तर की ओर जाती है जहां सीमा बिंदु 26°55'59.59" उ 88°48'42.06" पू पर पूर्व की ओर मुड़ती है जब तक कि यह बिंदु 26°56'0.37" उ 88°51'0.41" पू पर मूर्ति नदी से मिलती है। फिर उत्तर की ओर मूर्ति नदी के पश्चिमी तट के साथ बिंदु 26°57'25.35" उ 88°51'18.95" पू तक, फिर ऊपर की ओर बिंदु 26°57'31.76" उ 88°51'6.54" पू और 26°57'39.38" उ 88°51'0.02" पू को छूते हुए बिंदु 26°57'45.79" उ 88°50'56.23" पू तक और सड़क के सहित कुमानी-मूर्ति मोड़ तक जाती है। योंगटोंग टीजी के पूर्वी किनारे के साथ बिंदु 26°58'43.78" उ 88°50'9.58" पू तक, जहां बिंदु 26°58'55.25" उ 88°50'15.56" पू पर यह उत्तर पूर्व दिशा में मूर्ति नदी को पार करके कुमानी टीजी अस्पताल तक जाती है और फिर सड़क के साथ-साथ कुमाई पावर हाउस तक, यह सड़क के पूर्वी भाग के केंद्र से 30 मीटर तक जाती है। फिर उत्तर की ओर कनेक्टिंग सड़क/पथ के साथ बिंदु 27°00'19.03" उ 88°50'28.69" पू तक जाती है।

अनुलग्नक – III

गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से उनकी दूरी के महत्वपूर्ण भू निर्देशांक

बिंदु	अक्षांश	देशांतर	सीमा से न्यूनतम दूरी
क	27° 0'36.10"उ	88°50'57.09"पू	17.00 किलोमीटर
ख	26°56'28.70"उ	88°52'49.39"पू	9.68 किलोमीटर

ग	26°48'58.04"उ	88°47'39.56"पू	2.25 किलोमीटर
घ	26°47'52.29"उ	88°56'28.01"पू	5.20 किलोमीटर
च	26°41'9.30"उ	88°49'0.53"पू	5.00 किलोमीटर

अनुलग्नक – IVक

गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की सूची

क्र.सं.	पी.एस का नाम	क्षेत्र	जे.एल. सं.	क्षेत्र (हेक्टेयर)	खंड	उद्योग/ क्रियाकलाप
1	धुपगुरी	रामसाई वन II	50	486	धुपगुरी	वन
2	बानरहाट	जलढाका-अल्ताडांगा टीजी	24	571.67775	नागराकाटा	चाय कारखाना
3	बानरहाट	धूमपारा	26	515.1438	नागराकाटा	मिश्रित
4	गोरुबथान	कुमाई वन		1460	गोरुबथान	वन
5	गोरुबथान	कुमाई खासमहल	36	310	गोरुबथान	मिश्रित
6	नागराकाटा	नागाकाटा	7	100	नागराकाटा	ग्रामीण बस्ती
7	नागराकाटा	कालाबारी टीजी	27	418.03	नागराकाटा	शून्य
8	नागराकाटा	बामनडांगा टीजी	22	945.7236	नागराकाटा	चाय कारखाना
9	नागराकाटा	तंदु टीजी	21	261.71505	नागराकाटा	चाय कारखाना
10	नागराकाटा	टांडू	20	424.73565	नागराकाटा	शून्य
11	नागराकाटा	खैरबारी	19	691.76835	नागराकाटा	शून्य
12	नागराकाटा	सुलकापारा	18	419.59215	नागराकाटा	शून्य
13	नागराकाटा	सुखानी बस्ती	8	356.31495	नागराकाटा	शून्य
14	नागराकाटा	छरटांडू	17	432.9774	नागराकाटा	शून्य
15	नागराकाटा	चालसा वन	1	4690	नागराकाटा	वन
16	नागराकाटा	डायना वन		1430	नागराकाटा	रेलवे लाइन
17	मैनागुडी	रामसाय वन	3	1330	मैनागुडी	वन
18	मैनागुडी	रामसाय	9	640.07415	मैनागुडी	पर्यटन
19	मैनागुडी	जादबपुरटीजी	10	221.8428	मैनागुडी	चाय कारखाना
20	मैनागुडी	काओआ गैप	8	479.3823	मैनागुडी	मिश्रित
21	मैनागुडी	उत्तर कालामति	12	403.57845	मैनागुडी	मिश्रित
22	मैनागुडी	पनबारी	5	1152.38295	मैनागुडी	मिश्रित
23	मैनागुडी	डोब्वारी	4	141.88365	मैनागुडी	मिश्रित
24	मतैली	इंडोंग टीजी	14	590	मतैली	चाय कारखाना
25	मतैली	किल्कोट टीजी	15	340	मतैली	चाय कारखाना

26	मतैली	छाओआ फली	30	275.01525	मताली	मिश्रित
27	मतैली	बारादिघी टीजी	23	744.39405	मताली	चाय कारखाना
28	मतैली	दक्षिण धूपझोड़ा	28	568.09755	मताली	पर्यटन
29	मतैली	उत्तर धूपझोड़ा	27	405.44145	मताली	पर्यटन
30	मतैली	मंगलबाड़ी	17	246.4506	मताली	सूक्ष्म ग्रामीण बस्ती
31	मतैली	चालसा महाबारी	16	298.53765	मताली	पर्यटन
32	मतैली	पूरबबताबरी	26	539.56125	मताली	पर्यटन
33	मतैली	पश्चिम बताबरी	24	134.40665	मताली	पर्यटन
34	मतैली	बटाबारी टीजी	25	393.47775	मताली	चाय कारखाना
35	माल	पुरबा कांतादिघी कुमारपारा	80	77.31855	माल	शून्य
36	माल	लाटागुड़ी	81	272.8647	माल	पर्यटन
37	माल	दक्षिण कांतादिघी कुमारपारा	82	303.6852	माल	शून्य
38	माल	झार मतैली	92	745.281	माल	पर्यटन
39	माल	उत्तर मतैली	91	562.54905	माल	पर्यटन
40	माल	लाटागुड़ी वन	31	3360	माल	वन ग्राम
कुल क्षेत्र				27739.9037		

*मिश्रित- कृषि, लघु कुटीर उद्योग, पशुधन पालन, आवासीय क्षेत्र, दिहाड़ी मजदूर आदि।

अनुलग्नक-IVख

गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत उनके जीपीएस विवरण सहित ग्रामों की सूची					
क्र. सं.	जी.पी.एस. भू-निर्देशांक	बिंदु विवरण	क्षेत्र/ग्राम	जेएल सं.	खंड
1	27°00'19.03"उ 88°50'28.69" पू	कुमाई टी.जी	कुमई गांव	36	गोरुबथान
2	27°00'44.79" उ 88°51'12.58" पू	नक्श खोला	कुमई गांव	36	गोरुबथान
3	27° 0'32.93"उ 88°52'21.28"पू	जलढाका नदी 1	-	-	गोरुबथान
4	26°56'38.50"उ 88°52'37.23"पू	जलढाका नदी 2	-	-	गोरुबथान
5	26°52'41.09"उ 88°54'20.50"पू	सुखानी बस्ती	सुखानी बस्ती	8	नागराकाटा
6	26°51'35.23"उ 88°54'45.90"पू	खास बस्ती	खास बस्ती	8	नागराकाटा

7	26°53'50.07"उ 88°53'51.68"पू	सिलीगुड़ी-अलीपुरद्वार रेलवे लाइन	सुल्कापारा ग्राम पंचायत	8	नागराकाटा
8	26°50'41.98"उ 88°54'50.11"पू	सुल्कापारा वन विश्राम गृह	सुल्कापारा ग्राम पंचायत	18	नागराकाटा
9	26°50'40.96"उ 88°55'5.98"पू	गाथिया नदी	छार टांडू	17	नागराकाटा
10	26°50'35.77"उ 88°56'34.15"पू	छार तंदु में नदी तल पर बिंदु	छार टांडू	17	नागराकाटा
11	26°47'52.40" उ 88°56'27.81" पू	कालाबारी	अंगराभास । जी.पी	28	नागराकाटा
12	26°45'16.43" उ 88°55'6.58" पू	धूमपारा	अंगराभास । जी.पी	26	नागराकाटा
13	26°42'55.60" उ 88°54'10.42" पू	गैरकाटा क्राडजंक्चर	नाथुआहाट	24	नागराकाटा
14	26°42'39.52"उ 88°53'25.03" पू	मझियाली बस्ती प्राइमरी स्कूल	नाथुआहाट	24	नागराकाटा
15	26°42'21.41"उ 88°53'22.03"पू	नाथुआहाट	नाथुआहाट	24	बानरहाट
16	26°42'8.29"उ 88°53'4.71"पू	पुरवा डोब्वारी	नाथुआहाट	42	बानरहाट
17	26°41'34.69"उ 88°53'24.18" पू	फटाकतरी	नाथुआहाट	42	बानरहाट
18	26°41'9.51"उ 88°53'21.22"पू	बिबाड़ी बाग फुटबॉल मैदान	नाथुआहाट	49	धुपगुरी
19	26°40'14.53"उ 88°53'27.43"पू	गैरकाटा रोड	रामसाई वन	3	बानरहाट
20	26°40'2.55"उ 88°51'30.30"पू	रामसाई आई	पनबारी	5	मैनागुड़ी
21	26°40'20.41" उ 88°51'30.16" पू	रामसाय द्वितीय	पनबारी	5	मैनागुड़ी
22	26°41'12.36" उ 88°51'29.57" पू	कमरघाट	पनबारी	5	मैनागुड़ी
23	26°42'37.00"उ 88°51'5.83"पू	पनबारी - रामसाई रोड	कावागैप	8	मैनागुड़ी
24	26°42'44.03"उ 88°50'1.64"पू	पनबारी - रामसाई रोड	कावागैप	8	मैनागुड़ी
25	26°41'11.05"उ 88°49'0.01"पू	कैनाल रोड	रामसाय	9	मैनागुड़ी
26	26°41'42.44" उ 88°46'35.60" पू	झरमटियाली	झरमटियाली	92	मैनागुड़ी
27	26°42'39.90" उ	बिछ्रभंगा । कॉम्पटा	लाटागुड़ी वन	31	माल

	88°46'15.24" पू				
28	26°43'24.26"उ 88°46'20.70"पू	लातागुडी फ्लाईओवर	लातागुडी राजस्व क्षेत्र	81	माल
29	26°44'13.33"उ 88°45'39.94"पू	नेओरा नदी रेल पुल	पुरबा कांतादिघी कुमारपारा	82	माल
30	26°44'23.72" उ 88°45'29.91" पू	नेउरा नदी	पुरबा कांतादिघी कुमारपारा	80	माल
31	26°46'18.46"उ 88°45'19.58"पू	छाओफली	छाओफली	30	माल
32	26°47'32.04" उ 88°45'16.83" पू	निच चालसा	छाओफली	30	माल
33	26°47'57.19"उ 88°46'10.88"पू	बारादिघी टी.जी	बारादिघी टीजी	23	मताली
34	26°49'00.00" उ 88°47'46.98" पू	बटाबरी फार्म मोर	पूरब बताबारी	26	मताली
35	26°48'56.60"उ 88°48'13.71"पू	पीएमजीएसवाई 1	पूरब बताबारी	26	मताली
36	26°48'59.22"उ 88°48'17.37" पू	पीएमजीएसवाई 2	पूरब बताबारी	26	मताली
37	26°49'3.43"उ 88°48'16.45"पू	पीएमजीएसवाई 3	पूरब बताबारी	26	मताली
38	26°49'3.56"उ 88°48'20.40"पू	पीएमजीएसवाई 4	पूरब बताबारी	26	मताली
39	26°50'9.19"उ 88°48'49.29"पू	जिला परिषद रोड	उत्तर धूपझोडा	27	मताली
40	26°51'18.79"उ 88°49'12.79" पू	इंडोंग एफ.वी. रोड	मंगलवाडी	17	मताली
41	26°52'48.66"उ 88°49'33.84"पू	न्यू खुनिया एफ.वी	चालसा महाबारी	16	मताली
42	26°53'05.51" उ 88°49'28.73" पू	रेललाइन क्रॉसिंग पॉइंट	चालसा महाबारी	16	मताली
43	26°53'9.35"उ 88°48'39.39"पू	किल्कोट रोड	किल्कोट टीजी	15	मताली
44	26°53'4.29"उ 88°48'40.08"पू	बाघेर तारी बस्ति	चालसा महाबारी	16	मताली
45	26°53'11.50"उ 88°48'40.48"पू	पडरी कुठी बस्ती	किल्कोट टीजी	15	मताली
46	26°53'21.24"उ 88°48'39.61"पू	किल्कोट टी.जी.आई	किल्कोट टीजी	15	मताली
47	26°54'25.39"उ	किल्कोट टी.जी. II	किल्कोट टीजी	15	मताली

	88°48'40.54"पू				
48	26°55'59.96"उ 88°48'42.37"पू	मटेली	मटियाली टोपी	12	मताली
49	26°57'47.11"उ 88°50'46.46"पू	माटेली टी.जी मूरटी डिवीजन टॉप लाइन	मटियाली टी.जी	10	मताली
50	26°58'43.21"उ 88°50'9.73"पू	योगटोंग टी.जी	योगटोंग टी.जी	9	गोरुबथान
51	26°59'39.62"उ 88°50'45.46" पू	कुमाई खासमहल	कुमाई खासमहल	36	गोरुबथान

अनुलग्नक -V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र :-

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुलग्नक में प्रस्तुत करें।)
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2023

S.O.4952(E).—In supersession of the notification published vide number S.O. 1739 (E), dated 4th June 2020, the following draft which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in this draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Gorumara National Park in Jalpaiguri district of West Bengal with an area of 79.45 square kilometers, was notified by the State Government of West Bengal vide notification dated 1.1.1998 and is home to about 55 Great Indian One Horned Rhinoceros, one of the last populations of the species globally;

AND WHEREAS, the National Park acts as a crucial corridor for the movement of the Indian Elephant and harbours about 1000 Gaurs, Leopards along with other lesser cats, numerous herbivores and about 300 species of birds and about same number of butterflies, and has great significance in the forested landscape of Jalpaiguri district along with its forest, riverine ecosystem and adjoining tea gardens and villages including their diverse ethnicities;

AND WHEREAS, Gorumara National Park supports a number of species specified under Schedule-I of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) that *inter alia*, includes the Great Indian One Horned Rhinoceros (*Rhinoceros unicornis*), Indian Elephant (*Elephas maximus*), Gaur (*Bos gaurus*), Leopard (*Panthera pardus*), Indian Rock Python (*Python molurus*), Malayan Giant Squirrel (*Ratufa bicolor*), Leopard Cat (*Prionailurus bengalensis*), Fishing Cat (*Prionailurus viverrinus*), Hill Myna (*Gracula religiosa*), Indian Peafowl (*Pavo cristatus*), Indian Grey Hornbill (*Ocyrceros birostris*), etc;

AND WHEREAS, for effective conservation and protection of this rich floral and faunal biodiversity of Gorumara National Park, the extent of anthropogenic pressure in the periphery of the park has to be regulated as the immediate area adjoining this fragile ecosystem is ecologically sensitive and exerts great impact on this Protected Area;

AND WHEREAS, the dynamic nature of main river systems of Murti and Jaldhaka along with their tributaries and rivulets has a direct impact on the wildlife in the park; and therefore, it is necessary to conserve and protect the areas around Gorumara National Park for improvement and development of the wildlife habitat therein and in the landscape;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, surrounding the boundaries of Gorumara National Park which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of varying from 1.0 kilometer to 17.0 kilometers from the boundary of Gorumara National Park, in Jalpaiguri district in the State of West Bengal as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-Sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone-

- (1) The Eco-Sensitive Zone shall be to an extent varying from 1.0 kilometer to 17.0 kilometers from the boundary of Gorumara National Park and the area of the Eco-sensitive Zone is approximately 278 Square kilometers.
- (2) The boundary description of Gorumara National Park and its Eco-Sensitive Zone is appended in **Annexure-I**.
- (3) The map of the Gorumara National Park demarcating Eco-Sensitive Zone on survey of India Maps is given in **Annexure-IIA**, boundary details of Gorumara National Park and Eco-Sensitive Zone along with latitudes and longitudes are appended as **Annexure-II-B** and **Annexure-II-C**; Geo Coordinate References at **Annexure-II-D**.
- (4) List of important geo-coordinates of the Eco-Sensitive Zone and their shortest distance from the boundary of Gorumara NP are given in **Annexure III**.
- (5) The list of areas falling in the proposed Eco-Sensitive Zone is appended as **Annexure-IVA** and villages falling under Eco-Sensitive Zone along with latitudes and longitudes is given in **Annexure-IV-B**.

2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone-

- (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State Government.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
- (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Agriculture;
 - (iv) Revenue;
 - (v) Urban Development;
 - (vi) Tourism;
 - (vii) Rural Development;
 - (viii) Irrigation and Flood Control;
 - (ix) Municipality;
 - (x) Panchayati Raj; and
 - (xi) Public Works Department.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, green area, such as, parks, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- (10) Pending preparation and approval of the Zonal Master Plan, any new developmental activities shall be governed by provisions specified at paragraph 6 of sub-para (1) and (2).
- 3. Measures to be taken by the State Government.** - The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely: -
- (1) **Land use.**— (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:
- Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government or the State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-
- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
 - (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
 - (iii) small scale industries not causing pollution;
 - (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
 - (v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

(b) efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural water bodies.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism or eco-tourism.**- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

(b) the Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests;

(c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

(e) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer;

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 and its amendments.

(7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under these Acts.

- (8) **Discharge of effluents.**- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under these Acts.
- (9) **Solid wastes.**- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 and as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
 - (b) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;
 - (c) (iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;
 - (d) (iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-Medical Waste.**- Bio-Medical Waste Management shall be as under:-
- (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016;
 - (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) **Plastic waste management.**- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and demolition waste management.**- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste.**- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.**- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution.**- Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) **Industrial units.**- (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone;
- (b) only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of hill slopes.**- The protection of hill slopes shall be as under:-
- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
 - (b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone-

All activities in the Eco-Sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 (or the latest notification) and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court, dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995; dated 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012; and dated the 28 th April, 2023 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI and in W.P.(C) No.202 of 1995.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. Pollution prevention technologies and noise barriers should be installed by existing industries
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substance.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Use of polythene bags.	Prohibited.
9.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
B. Regulated Activities		
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake

		<p>construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents:</p> <p>Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
12.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
13.	Felling of trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.</p>
14.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws of underground cabling may be promoted.
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation with proper Environment Impact Assessment, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like over flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise, the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.

24.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated as per applicable laws except for meeting local needs.
25.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
26.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Introduction of Exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification-

For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S.No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Concerned District Collector	<i>ex-officio</i> , Chairman;
(ii)	A representative of Non-governmental Organization working in the field of environment and wildlife conservation (including heritage conservation) to be nominated by the State Government for a period not exceeding three years for each term.	Member;
(iii)	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the State Government from time to time every three years.	Member;

(iv)	An expert in Ecology from reputed institution or university of the State.	<i>ex-officio</i> , Member;
(v)	A representative from State Public Works Department.	<i>ex-officio</i> , Member;
(vi)	A representative from State Pollution Control Board.	<i>ex-officio</i> , Member;
(vii)	The Divisional Forest Officer, in charge of Gorumara National Park	<i>ex-officio</i> , Member-Secretary.

6. Functions of the Monitoring Committee –

- (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
 - (2) The activities not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
 - (3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.
 - (5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in Annexure-V, appended to this notification.
 - (6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. **Additional Measures:** The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. **Supreme Court, etc. orders.** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/24/2018/ESZ]

Dr. S. KERKETTA, Scientist 'G'

Annexure I

Boundary Description of the Eco-Sensitive Zone of Gorumara National Park

North: Forests of Kalimpong Forest Division, up to Bhutan Border.


East: Along Jaldhaka River in the East, till the Siliguri-Alipurduar Railway line, further South along Eastern part of Sulkapara Road, including the Forest of Diana Range, the Western side of Karbala Road, and then Gairkata Road, up to Ramsai Forest under Nathua Range of Jalpaiguri Forest Division.

South: North of Hindustan More, Eastern side of Ramsai Road, cutting across to Kaoagap-Ramsai Road, along the road till the irrigation canal and further along the canal till the Lataguri-Mal railway line.

West: Along the Mal-Lataguri Railway line from Lataguri, further north along the right Bank of the river Neora, western edge of Baradighi tea garden, along eastern side of PMGSY road, Banglapara Road, Chorok Road and southern side of Uttar Dhupjhora Road, Zilla parishad road to Panjhora Forest under Jalpaiguri division, crossing NH-17, Siliguri-Alipurduar railwayline further North along Kilkote-Indong TG road and then the Murti River up to Kumai Forest.

Map of Eco-Sensitive Zone of Gorumara National Park and Gorumara National Park with Important Points

Map of Eco Sensitive Zone of Gorumara National Park



Generated by Working Plan & GIS circle, W.B., Dated 15.05.2023

Annexure II-B**Important Geo coordinates of Gorumara National Park on its Boundary**

Point	Latitude	Longitude	Direction
P1	26°51'15.76"N	88°52'6.07"E	North
P2	26°47'42.37"N	88°47'53.19"E	West
P3	26°45'42.52"N	88°47'25.41"E	West
P4	26°43'44.13"N	88°49'6.36"E	South
P5	26°47'52.27"N	88°53'11.60"E	East

Annexure II-C**Geo coordinates of the Important Points on the Eco-Sensitive Zone Boundary of Gorumara National Park**

A	27° 00'36.10"N	88°50'57.09"E
B	26°56'28.70"N	88°52'49.39"E
C	26°48'58.04"N	88°47'39.56"E
D	26°47'52.29"N	88°56'28.01"E
E	26°41'09.30"N	88°49'00.53"E

Annexure II-D**Detailed description of the Boundary of the Eco-Sensitive Zone of Gorumara National Park along with Important Geo Coordinate References**

Extent	Description
Northern	From the point 27°00'19.03" N 88°50'28.69", then towards north-east up to 30m from the centre of Naksa Khola (right bank) at point 27°00'44.79" N 88°51'12.58" E and then along Naksa Khola up to Bhutan border till point 27°00'32.44" N 88°52'23.12" E.
Eastern	Along Bhutan boundary from point 27°00'32.44" N 88°52'23.12" E to 26°56'28.70"N 88°52'49.39"E along the eastern side of River Jaldhaka till point 26°53'50.68"N 88°53'46.70"E where it crosses the Siliguri- Alipurduar railway line and meets the Nagrakata-Sukhanibasty road which connects to Sulkapara after crossing NH-17 and turns east at point 26°50'41.98"N 88°54'50.11"E up to Sulkapara Forest Rest house. Then towards east, crossing Gathiya River at point 26°50'40.96"N 88°55'5.98"E further 2.72 km east on the same line up to point 26°50'32.97" N 88°56'30.16" E. Then, down towards South for 5km up to 26°47'52.40" N 88°56'27.81" E ,then along the western flank of Kalabari road, at 30m from the center of the road, joining Gairkata Road up to Nathua Bazar at point 26°42'55.60" N 88°54'10.42" E and then along Majhiali road at a distance of 30m up to point 26°42'20.97" N 88°53'21.86" E, then along the connecting road via Ramsai Picnic spot up to the point 26°41'34.69" N 88°53'24.18" E , and then towards east till 30m from center of Gairkata Road and further south up to point 26°40'14.04" N 88°53'27.80" E.
Southern	From point 26°40'14.04" N 88°53'27.80" E , towards western direction crossing Jaldhaka River, and further west up to point 26°40'20.41" N 88°51'30.16" E , then along the road at 30 m distance from the center of the road up to point 26°41'12.36" N 88°51'29.57" E , west up to Ramsai Road, up to point 26°42'37.02" N 88°51'0.574" E, west up to Kaoagap road , south along the road up to the canal at a distance of 30m. Further, 30m north from the centre of the canal, along the canal at a distance of 30m up to the point 26°41'42.44" N 88°46'35.60" E, then east of the connecting road (30m distance from the centre of the road) up to the Lataguri-Mal railway line at 26°42'39.90" N 88°46'15.24" E.
Western	Towards west along the Lataguri-Mal railway line, at 30m from the centre of the line in eastern side till the Rail bridge on Neora river up to point 26°44'23.72" N 88°45'29.91" E, and then along

	<p>the western bank of the Neora river at 200m from centre of the main stream till the point 26°47'32.04" N 88°45'16.83" E. The across Neora river till PMGSY road on the eastern side of the river, crossing it at point 26°49'00.00" N 88°47'46.98" E, then along the PMGSY road (30m distance from the centre of the road) then along Bangapara Road (30m distance from the centre of the road), then along Uttar Dhupjhora road (30m distance from the centre of the road) up to point 26°50'10.29" N 88°48'48.39" E, then further north along Zilla Parishad road (30m east from the centre of the road) till the point 26°51'18.79" N 88°49'12.79" E and then north up to NH-17 via new Khunia Forest Village, crossing the railway line at the point 26°53'05.51" N 88°49'28.73" E. Further west for 1.34 km along 200m from the centre of the Siliguri- Alipurduar Railway line towards the north, till the point 26°53'4.26"N 88°48'40.08"E and crossing Indong TG- Kilkote TG road. Then, northwards, 30m from the centre of the kachha road at point 26°53'9.35"N 88°48'39.39"E, along the road till 26°53'21.32"N 88°48'39.53"E, and north east till it meets the Indong-Kilkote TG road at point 26°53'33.13"N 88°48'53.28"E and along the western side of the road till point 26°54'25.39"N 88°48'40.54"E, then further north for 2.78km where the boundary turns east at point 26°55'59.59"N 88°48'42.06"E till it meets Murti River at point 26°56'0.37"N 88°51'0.41"E. Then northwards along the western bank of River Murti till the point 26°57'25.35"N 88°51'18.95"E, then upland touching the points 26°57'31.76"N 88°51'6.54"E and 26°57'39.38"N 88°51'0.02"E till point 26°57'45.79"N 88°50'56.23"E and along the road till Kumani-Murti more. Along the eastern edge of Yongtong TG till the point 26°58'43.78"N 88°50'9.58"E where it crosses Murti River in North east direction to Kumani TG Hospital at point 26°58'55.25"N 88°50'15.56"E and then along the road upto Kumai Power House, 30m from the centre of the road on its eastern side. Then towards north along the connecting road/path up to point 27°00'19.03" N 88°50'28.69" E.</p>
--	---

Annexure III**Important Geo coordinates of ESZ around Gorumara National Park and their Distance from the Boundary of the Gorumara National Park**

Point	Latitude	Longitude	Shortest Distance from the Boundary
A	27° 0'36.10"N	88°50'57.09"E	17.00 km
B	26°56'28.70"N	88°52'49.39"E	9.68 km
C	26°48'58.04"N	88°47'39.56"E	2.25 km
D	26°47'52.29"N	88°56'28.01"E	5.20 km
E	26°41'9.30"N	88°49'0.53"E	5.00 km

Annexure IV- A**LIST OF AREAS FALLING INSIDE ESZ AROUND GORUMARA N.P.**

SN	Name of PS	Area	JL No	Area (Ha)	Block	Industry/ activities
1	Dhupguri	Ramsai Forest II	50	486	Dhupguri	Forest
2	Banarhat	Jaldhaka-Altadanga TG	24	571.67775	Nagrakata	Tea factory
3	Banarhat	Dhumpara	26	515.1438	Nagrakata	Mixed
4	Gorubathan	Kumai Forest		1460	Gorubathan	Forest
5	Gorubathan	Kumai Khasmahal	36	310	Gorubathan	Mixed
6	Nagrakata	Nagrakata	7	100	Nagrakata	Rural Habitation
7	Nagrakata	Kalabari TG	27	418.03	Nagrakata	Nil
8	Nagrakata	Bamandanga TG	22	945.7236	Nagrakata	Tea factory
9	Nagrakata	Tandu TG	21	261.71505	Nagrakata	Tea factory
10	Nagrakata	Tandu	20	424.73565	Nagrakata	Nil
11	Nagrakata	Khairbari	19	691.76835	Nagrakata	Nil

12	Nagrakata	Sulkapara	18	419.59215	Nagrakata	Nil
13	Nagrakata	Sukhani Basti	8	356.31495	Nagrakata	Nil
14	Nagrakata	ChharTandu	17	432.9774	Nagrakata	Nil
15	Nagrakata	Chalsa Forest	1	4690	Nagrakata	Forest
16	Nagrakata	Diana Forest		1430	Nagrakata	Rly line
17	Maynaguri	Ramsai Forest	3	1330	Maynaguri	Forest
18	Maynaguri	Ramsai	9	640.07415	Maynaguri	Tourism
19	Maynaguri	JadabpurTg	10	221.8428	Maynaguri	Tea factory
20	Maynaguri	Kaoa Gap	8	479.3823	Maynaguri	Mixed
21	Maynaguri	Uttar Kalamati	12	403.57845	Maynaguri	Mixed
22	Maynaguri	Panbari	5	1152.38295	Maynaguri	Mixed
23	Maynaguri	Dobbari	4	141.88365	Maynaguri	Mixed
24	Matiali	Indong TG	14	590	Matiali	Tea factory
25	Matiali	Kilkott TG	15	340	Matiali	Tea factory
26	Matiali	Chhaoa Phali	30	275.01525	Matali	Mixed
27	Matiali	Baradighi TG	23	744.39405	Matali	Tea factory
28	Matiali	Dakshin Dhupjhora	28	568.09755	Matali	Tourism
29	Matiali	Uttar Dhupjhora	27	405.44145	Matali	Tourism
30	Matiali	Mangalbari	17	246.4506	Matali	Small rural habitation
31	Matiali	Chalsa Mahabari	16	298.53765	Matali	Tourism
32	Matiali	PurbaBatabari	26	539.56125	Matali	Tourism
33	Matiali	Paschim Batabari	24	134.40665	Matali	Tourism
34	Matiali	Batabari TG	25	393.47775	Matali	Tea factory
35	Mal	Purba kantadighi Kumarpara	80	77.31855	Mal	Nil
36	Mal	Lataguri	81	272.8647	Mal	Tourism
37	Mal	Daksin Kantadighi Kumarpara	82	303.6852	Mal	Nil
38	Mal	Jhar Matiali	92	745.281	Mal	Tourism
39	Mal	Uttar Matiali	91	562.54905	Mal	Tourism
40	Mal	Lataguri Forest	31	3360	Mal	Forest village
Total Area				27739.9037		

*Mixed- Agriculture, small cottage industries, livestock rearing, residential areas, daily wage labourers, etc.

Annexure IV- B

LIST OF VILLAGES INSIDE ESZ AROUND GORUMARA N.P.

List of Villages with their GPS Details under Eco- Sensitive Zone of Gorumara National Park					
Si No.	GPS Co-Ordinates	Point particulars	Area/Village	JL no.	Block
1	27°00'19.03"N 88°50'28.69" E	Kumai T.G	Kumai Village	36	Gorubathan
2	27°00'44.79" N 88°51'12.58" E	Naksha Khola	Kumai Village	36	Gorubathan
3	27° 0'32.93"N 88°52'21.28"E	Jaldhaka River 1	-	-	Gorubathan

4	26°56'38.50"N 88°52'37.23"E	Jaldhaka River 2	-	-	Gorubathan
5	26°52'41.09"N 88°54'20.50"E	Sukhani Busty	Sukhani Busty	8	Nagrakata
6	26°51'35.23"N 88°54'45.90"E	Khas Busty	Khas Busty	8	Nagrakata
7	26°53'50.07"N 88°53'51.68"E	Siliguri- Alipurduar railway line	Sulka para Gram Panchayat	8	Nagrakata
8	26°50'41.98"N 88°54'50.11"E	Sulka para Forest Rest House	Sulka para Gram Panchayat	18	Nagrakata
9	26°50'40.96"N 88°55'5.98"E	Gathia River	Chhar Tandu	17	Nagrakata
10	26°50'35.77"N 88°56'34.15"E	Point on River bed at Chhar Tandu	Chhar Tandu	17	Nagrakata
11	26°47'52.40" N 88°56'27.81" E	Kalabari	Angrabhasa I G.P	28	Nagrakata
12	26°45'16.43" N 88°55'6.58" E	Dhumpara	Angrabhasa I G.P	26	Nagrakata
13	26°42'55.60" N 88°54'10.42" E	Gairkata Quadjuncture	Nathuahat	24	Nagrakata
14	26°42'39.52"N 88°53'25.03" E	Majhiali Busty Primary School	Nathuahat	24	Nagrakata
15	26°42'21.41"N 88°53'22.03"E	Nathuahat	Nathuahat	24	Banarhat
16	26°42'8.29"N 88°53'4.71"E	Purba Dobbari	Nathuahat	42	Banarhat
17	26°41'34.69"N 88°53'24.18" E	Fataktari	Nathuahat	42	Banarhat
18	26°41'9.51"N 88°53'21.22"E	Bibadi Bagh Footbal ground	Nathuahat	49	Dhupguri
19	26°40'14.53"N 88°53'27.43"E	Gairkata Road	Ramsai Forest	3	Banarhat
20	26°40'2.55"N 88°51'30.30"E	Ramsai I	Panbari	5	Maynaguri
21	26°40'20.41" N 88°51'30.16" E	Ramsai II	Panbari	5	Maynaguri
22	26°41'12.36" N 88°51'29.57" E	Kamarghat	Panbari	5	Maynaguri
23	26°42'37.00"N 88°51'5.83"E	Panbari - Ramsai Road	Kawagap	8	Maynaguri
24	26°42'44.03"N 88°50'1.64"E	Panbari - Ramsai Road	Kawagap	8	Maynaguri
25	26°41'11.05"N 88°49'0.01"E	Canal Road	Ramsai	9	Maynaguri
26	26°41'42.44" N 88°46'35.60" E	Jharmatialli	Jharmatialli	92	Maynaguri
27	26°42'39.90" N 88°46'15.24" E	Bichhabhanga I Comptt.	Lataguri Forest	31	Mal

28	26°43'24.26"N 88°46'20.70"E	Lataguri Flyover	Lataguri Revenue Area	81	Mal
29	26°44'13.33"N 88°45'39.94"E	Neora River Rail Bridge	Purba Kantadighi Kumarpura	82	Mal
30	26°44'23.72" N 88°45'29.91" E	Neora River	Purba Kantadighi Kumarpura	80	Mal
31	26°46'18.46"N 88°45'19.58"E	Chhaoaphali	Chhaoaphali	30	Mal
32	26°47'32.04" N 88°45'16.83" E	Nich Chalsa	Chhaoaphali	30	Mal
33	26°47'57.19"N 88°46'10.88"E	Baradighi T.G	Baradighi TG	23	Matalli
34	26°49'00.00" N 88°47'46.98" E	Batabari Pharm More	Purba Batabari	26	Matalli
35	26°48'56.60"N 88°48'13.71"E	PMGSY 1	Purba Batabari	26	Matalli
36	26°48'59.22"N 88°48'17.37" E	PMGSY 2	Purba Batabari	26	Matalli
37	26°49'3.43"N 88°48'16.45"E	PMGSY 3	Purba Batabari	26	Matalli
38	26°49'3.56"N 88°48'20.40"E	PMGSY 4	Purba Batabari	26	Matalli
39	26°50'9.19"N 88°48'49.29"E	Zilla Parishad Road	Uttar Dhupjhora	27	Matalli
40	26°51'18.79"N 88°49'12.79" E	Indong F.V Road	Mangalbari	17	Matalli
41	26°52'48.66"N 88°49'33.84"E	New Khunia F.V	Chalsa Mahabari	16	Matalli
42	26°53'05.51" N 88°49'28.73" E	Railline Crossing Point	Chalsa Mahabari	16	Matalli
43	26°53'9.35"N 88°48'39.39"E	Kilcott Road	Kilcott TG	15	Matalli
44	26°53'4.29"N 88°48'40.08"E	Bagher Tari Busti	Chalsa Mahabari	16	Matalli
45	26°53'11.50"N 88°48'40.48"E	Padri Kuthi Busty	Kilcott TG	15	Matalli
46	26°53'21.24"N 88°48'39.61"E	Kilcott T.G I	Kilcott TG	15	Matalli
47	26°54'25.39"N 88°48'40.54"E	Kilcott T.G II	Kilcott TG	15	Matalli
48	26°55'59.96"N 88°48'42.37"E	Matelli	Matiali Hat	12	Matalli
49	26°57'47.11"N 88°50'46.46"E	Matelli T.G Moortee Division Top Line	Matiali T.G	10	Matalli
50	26°58'43.21"N 88°50'9.73"E	Yongtong T.G	Yongtong T.G	9	Gorubathan
51	26°59'39.62"N 88°50'45.46" E	Kumai Khasmahal	Kumai Khasmahal	36	Gorubathan

Annexure V**Performa of Action Taken Report**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities **not** covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.